

एफ.1/109(8)/2020-भ.IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती IV अनुभाग

पद का नाम	उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में सहायक निदेशक (जहाज़-रानी) के पद की एक (01) रिक्ति।	
विज्ञापन सं	01/2021	
रिक्ति सं	21010101409	
लघुसूचीबद्ध करने के लिए अपनाए गए मापदण्ड	अनारक्षित	अ.यो. - क + अ.यो. - ख + वां.यो.
	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
	अनुसूचित जाति	-
	अनुसूचित जनजाति	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	15, 19, 20, 49, 54, 60, 66*, 88, 136 एवं 143. (10 उम्मीदवार)

*ऑनलाइन भर्ती आवेदन तथा डिग्री प्रमाण-पत्र में नाम में भिन्नता हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के अध्याधीन अंतिम रूप से लघुसूचीबद्ध।

:अस्वीकृत:

लघुसूचीबद्ध नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	एलईक्यू - ख:	68, 92, 94, 125, 155, 180 एवं 200. (07 उम्मीदवार)
	एलडीक्यू	03, 07, 27, 77, 84, 144 एवं 179. (07 उम्मीदवार)
	अपूर्ण:	
	अपूर्ण होने का कारण	अनुक्रमांक
	अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	06, 12, 29, 32, 58, 117, 118, 124, 160, 161, 181, 197, 209. (13 उम्मीदवार)
	अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र	02, 04, 08, 13, 18, 22, 25, 28, 30, 37, 39, 42, 50, 65, 71, 82, 100, 104, 113, 115, 119, 123, 126, 127, 131, 132, 147, 150, 151, 153, 157, 162, 163, 167, 172, 176, 187, 188, 204, 206 एवं 208. (41 उम्मीदवार)
	अनुभव प्रमाण-पत्र में कार्यों के स्वरूप का उल्लेख नहीं किया गया है।	64, 87, 165 एवं 201. (04 उम्मीदवार)
	मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।	11, 72, 78, 93, 98 एवं 194. (06 उम्मीदवार)
विचार क्षेत्र से बाहर	शेष 121 उम्मीदवारों का अनुभव एवं योग्यता कम है।	

महत्वपूर्ण अनुदेश:

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु साक्षात्कार के लिए लघुसूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **10.06.2022** तक prernasharma-upsc@gov.in पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघुसूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। तथापि, ऑनलाइन भर्ती आवेदन में दावा की गई आयु, श्रेणी, योग्यता, अनुभव तथा वांछनीय अनुभव के संदर्भ में ही इन आवेदनों की जांच की जाएगी। तत्पश्चात्, यदि संवीक्षा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अपनाए गए मानदंड	<p>(i) यह संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्रमें दी गई जानकारी और उसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुसार, कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सम्पूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।</p> <p>(iii) इस भर्ती मामले में वांछित योग्यता लागू की गई है। तथापि, भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान से जहाजरानी में एसोशिएटशिप/फेलोशिप/डिप्लोमा को संगत माना गया है।</p> <p>(iv) संवीक्षा हेतु अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसका उल्लेख ऑनलाइन भर्ती आवेदन(ओआरए) में किया गया है। ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में अनुभव अवधि का उल्लेख किए बिना संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(v) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र फा. सं. 8/84/2010-भ.(समन्वय एवं नीति), दिनांक 23.12.2010 की शर्तों के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर, मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परंतु जिन उम्मीदवारों ने किसी अनुबंध का उल्लेख किया है परंतु उसे जमा नहीं किया है, उनके आवेदनों को 'अपूर्ण' मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है।</p> <p>(vi) नियुक्ति-पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा उम्मीदवारों द्वारा स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्रों अथवा स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों पर अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों के मामले में यह भी माना गया है कि उन्हें संगत क्षेत्र का अनुभव प्राप्त नहीं है परंतु इन्हें 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।</p>
------------------------	---

<p>(vii) जिन अनुभव प्रमाणख नहीं किया गया हैरूप का स्पष्ट उल्लेखों में कार्यो के स्व-, उन पर विचार किए बिना उन्हें 'अपूर्ण'मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परंतु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाणपत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है-, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।-</p> <p>(viii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। तथापि उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>टिप्पणी: आयोग द्वारा मानदण्डों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।</p>

संकेतक:

एलईक्यू-(ख) - अनिवार्य योग्यता "ख" में कमी

एलडीक्यू-वांछित योग्यता में कमी

उप सचिव (भ.।V)

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।